

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 संस्कृत

कैलिकार कार्य सुची

बुद्धवार, दिनांक 1 मार्च, 1895 (फाल्गुन 10, 1916)

एवं इसके साथ एक अतिरिक्त समय 10.30 बजे दिन ^{१५} जुलाई १९४८ को

1. प्राणोदय श्री महावन्द संस्कृत
कृति निधार.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

२. एनो का पट्टल पर रखा आने लागतु जाति विद्या

(1) श्री अरणदास महेत, राज्यपर्मित्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश सामान्य विकास कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 51 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-३-२४-९४-विक-पांच.(109), दिनांक 6 अक्टूबर, 1994 पटल पर रखेंगे।

(2) श्रीमती उर्मिला सिंह, राजस्थानी डेयरी विकास कम्पनीज एकट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित, भोपाल का समापक लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 पटल पर रखेंगी।

(1) श्री सोनेराम कुशाकाह, सदस्य, उर्जान के शंकरपुर-मक्सी रोड पर निवासरत् परिवारों के लोपड़े नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

१. प्रधानमंत्री परिवार

राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण

(1) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) ग्राम बंडी खुर्द में विजली लगाये जाने, १५७ प्रतिशत प्राप्त (१) सहनीय
 (ख) ग्राम बंडी की कषि भूमि को बंजर होने से बचाये जाने,

(ग) ग्राम पंचायत बकही के ककड़हाड़ी टोला में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराये जाने।

(2) वीर अवधिकारी अवस्था — यह एक विशेष दोष के नाम से जुड़ी है।

(क) ग्राम बिरदा में हैंडपंप लगाये जाने,
 (ख) ग्राम तेलसरा में हैंडपंप लगाये जाने,
 (ग) ग्राम अम्हनी कोना के डिलोलभाटा मुहल्ले में हैंडपंप लगाये जाने,
 (घ) ग्राम धटूरा में हैंडपंप लगाये जाने,
 (ङ) ग्राम नेवसा की नई बस्ती में हैंडपंप लगाये जाने

(३) श्री अल्लाहाल तेकाम-सुइस्य-मण्डला जिले के -

(क) ग्राम कुसमी (भानपुर) से मण्डला तक बस अलाये जाने,
 (ख) ग्राम नाहरबेली के पास की नदी पर बोध बनाये जाने,
 (ग) ग्राम कोलुमगहन में विषुव सुविधा उपलब्ध कराये जाने,
 (घ) ग्राम भानपुर खेड़ा में लिपट इरीगेशन सुविधा उपलब्ध कराये जाने
 (छ.) ग्राम इमतिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने.

(4) श्री ओमप्रकाश खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के -

(क) कोलारस नगर में रामनगर से कोटा नाका तक के मार्ग को अन्तर्राजीय मार्ग घोषित किये जाने,
 (ख) ग्राम खरई से बरसई तक सड़क बनाये जाने,
 (ग) ग्राम बिजौरीनी से बद्रवास तक बस चलाये जाने.

मध्य प्रदेशी विधानसभा

-2-

(5) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम धर्मरा में पेयजल हेतु ठंडकी बनाये जाने, एवं

(6) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य, होशगाबाद जिले के ग्राम खेड़ा में पशु चिकित्सालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकारे प्रस्तुत करेंगे।

8. लोक लेखा समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये लोक लेखा समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हों।"

7. प्राक्कलन समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223 के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हों।"

8. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223-ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हों।"

9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये बीस सदस्यों का निर्वाचन

श्री कांतिलाल भूसिया, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 234-ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 20 सदस्यों के निर्वाचन के लिये (जिसमें क्रमशः पांच-पांच सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अप्रसर हों।"

10. वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक पर सामान्य अर्जा (क्रमवृश्ट)

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा विधानसभा सदस्य (ए)

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा विधानसभा सदस्य (ए)

भोपाल : ०५०२४४५५५५ विधानसभा भवन, भोपाल सचिव,
दिनांक : 28 फरवरी, 1995 विधानसभा भवन मध्यप्रदेश विधान सभा
कल्याण विभाग, भोपाल विधानसभा भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)

के लिये विधानसभा भवन, भोपाल विधानसभा विधायक विधायक (ए)

विधायक विधायक विधायक विधायक विधायक (ए)

विधायक विधायक विधायक विधायक विधायक विधायक विधायक (ए)

विधायक विधायक विधायक विधायक विधायक विधायक (ए)

विधायक विधायक विधायक विधायक विधायक विधायक (ए)